रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2473]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2015/कार्तिक 29, 1937
No. 2473]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2015/KARTIKA 29, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2015

का.आ.3125(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान राज्य के जिले चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र पर अवस्थित है चित्तौड़गढ़ से 140 किलोमीटर की दूरी पर चित्तौड़गढ़ रावतभाटा सड़क पर 75° 20'-75° 36' पू. देशांतर और 24° 44'-24° उ. अक्षांश के बीच है और 201.40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और राणा प्रताप सागर बांध और परमाणु बिजली सयंत्र भी यहां स्थित हैं और अभयारण्य सीमा का अनुमातः 1/3 भाग "राणा प्रताप सागर बांध" और ब्राह्मणी नदी से घिरा हुआ है ।

और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या (11)/44/राजस्थापन/8/81, दिनांक 05.02.83 द्वारा इस वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया गया था और अंतिम अधिसूचना, कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिसूचना

संख्या 971, दिनांक 20.08.98 और संख्या 886, दिनांक 10.09.98 द्वारा जारी की गई थी और यह मगरमच्छों और विभिन्न प्रकार के गिद्धों जैसे रेड हेडेड इजिप्शियन, व्हाईट बैक्डम, सिलेंडर बिल्ड्, यूरेशन, ग्रिफन, भारतीय गिद्ध के लिए विख्यात है और यह शाकभक्षियों, मांसभक्षियों और विविध प्रकार की प्रादेशिक, वृक्षवासियों और जल-पक्षियों के लिए आदर्श वासस्थल है ।

और, भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को माउंट भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 3 किलोमीटर तक 258.835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है इस जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान के जिले चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले 15 ग्रामों तक फैला हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्रों अंतर्गत आने वाले 43 ग्रामों की सूची **उपाबंध III** पर दी गई है ।

(5) भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांक के ब्यौरे तथा इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन **उपाबंध III-क** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजाति क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 18, 24, 29, और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iii) वर्षा जल संचयन; और

(iv) कुटीर उद्योगों में ग्राम उद्योग, भण्डार की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना में सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) यथावश्यक परिवर्तनों सहित मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परन्तु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ;

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां –**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन्न विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनी प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन्न नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
1	2	3
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

(7)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे; परंतु यह और भी कि विद्यमाह आरा मशीनों के लाइसेंस का नवीकरण उनके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर नहीं किया जाएगा ।
(8)	मत्स्य ग्रहण ।	सभी जल निकायों में मत्स्य ग्रहण पूर्णतया वर्जित होगा ।
(9)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध ।
(10)	तेंदु पत्ता का क्रय ।	अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर के भीतर ठेकेदारों द्वारा तेंदु पत्ते के क्रय पर प्रतिषेध वन विभाग द्वारा तेंदु पत्ते की यूनिट की नीलामी के समय पर किसी क्रय स्थान (फेड्स) को चिन्हित नहीं किया जाएगा ।
(11)	भेड़ों को चराना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में भेंड़ों की प्रव्रजन अवधि के दौरान भेंड़ों और पशुओं के चरने पर प्रतिषेध। तथापि, स्थानीय पशुओं को चराना अधिकारों के अनुसार अनुज्ञात होंगे ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(12)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 3 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के तीन किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरुप होंगे ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर की दूरी तक किसी किस्म का कोई नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे । (ख) अभयारण्य की सीमा से 100 से 300 मीटर के बीच आने वाले क्षेत्र में दो मंजिले भवन से अधिक किसी नए भवन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।
(14)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या बनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(16)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) 11 केवी के पारेषण लाइनों और वितरण लाइनों को बिछाना । (ii)भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(17)	होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(25)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकिलाप :		
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, और एक्वाकल्चर और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(29)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(30)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि के बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति:- (1) केंद्रीय सरकार, राजस्थान राज्य में आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ - अध्यक्ष;

(ii) लोक निर्माण, नगर योजना और उद्योग विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्यगण ;

(iii) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(iv) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(v) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा- सदस्य ;

(vi) अवैतनिक वन्यजीव वार्डन - सदस्य ;

(vii) सहायक वन संरक्षक, भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य - सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर उक्त वर्ष कि 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे।

[फा. सं. 25/59/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी,वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

भैंसरोदगढ़ वन्य जीव अभयारण्यम के पारिस्थितिकीय जोन की सीमा का ब्यौरा

उत्तर पारिस्थितिकीय जोन, राजस्था न के चित्तौयड़गढ़ जिले में स्थित भैंसरोदगढ़ वन्यमजीव अभयारण्य की सीमा से 3 कि.मी.तक का क्षेत्र है जिसमें विभिन्नथ विविधताएं हैं जैसे कि इसके उत्तरर में स्थित जवाहर सागर वन्यकजीव अभयारण्ये नामक एक अन्यि संरक्षित क्षेत्र की सीमा इससे मिलती है और पश्चिम में गांव लोटियाना, मंडेसारा, फूटपाल वन मार्ग के साथ-साथ सीमा के साथ यह मुक्तच क्षेत्र है।

पूर्व और दक्षिण दिशा में इस पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र की सीमा राणा प्रताप सागर के संपूर्ण निमग्नै जल क्षेत्र तक विस्ता रित की जाएगी। पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में आने वाले सीमावर्ती गॉव अपनी समूची राजस्वा सीमाओं में होंगे।

उत्तर : जवाहर सागर अभयारण्य की सीमा राणा प्रताप सागर बांध क्षेत्र से चम्बिल नदी, चम्बल पुलिया, ब्राहमणी नदी के साथ-साथ भैंसरोदगढ़ से लोटियाना वन चौकी तक है।

पश्चिम : भैंसरोदगढ़ अभयारण्यी की सीमा के साथ-साथ वन मार्ग, जो लोटियाना वन चौकी से गांव मंडेसारा, खालगॉव, फूटपाल तक गॉव अजपुरा और राजपुरा गॉव की पूर्वी सीमा, गांव जम्बूदीप गॉव की दक्षिणी सीमा और अभयारण्यू की सीमा से मध्या प्रदेश राज्यस की सीमा तक और झुम्पिडया गॉव की पूर्वी सीमा।

दक्षिण : गुंजाली नदी के साथ-साथ झुम्प डिया गॉव से, राणा प्रताप सागर बांध के निमग्र् जल क्षेत्र की सीमा से चितौडिया गॉव तक, जहां चम्ब ल नदी बांध के जल क्षेत्र में प्रवेश करती है।

पूर्व : चितौडिया गॉव से राणा प्रताप की जल निमग्नब सीमा से बांध क्षेत्र तक।

पश्चिम : भैंसरोदगढ़ रेलवे स्टेाशन से एनएच 12 तक की 1 कि.मी. चौड़ाई तक और कन्वासस तिराहा तक। कन्वा ेस तिराहा से भैंसरोदगढ़ अभयारण्यन सीमा के साथ-साथ कालसिंध नदी के संगम बिंदु क्षेत्र तक।

उपाबंध II

भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	वन सीमा	तहसील	गांव	ग्राम पंचायत	टिप्पणी
1.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	नीमडी	देवपुरा	
2.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	आगरा	राजपुरा	
3.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	भैंरोजी का माल	राजपुरा	
4.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	उडपुरा	राजपुरा	अभयारण्य में आंशिक क्षेत्र
5.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	दूदीतलई	राजपुरा	अभयारण्य में आंशिक क्षेत्र
6.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	गणेशपुरा	राजपुरा	अभयारण्य में आंशिक क्षेत्र
7.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	बारला का खेडा	राजपुरा	
8.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	बालागंज	बालकुंडी	
9.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	खारनई	राजपुरा	
10.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	शोपुरिया	राजपुरा	
11.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	हीरापुरा	राजपुरा	
12.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	सैयरिया कुडी	राजपुरा	
13.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	मेघपुरा	राजपुरा	
14.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	खेडा	राजपुरा	
15.	भैंसरोदगढ़	रावतभाटा	लुहरिया	राजपुरा	

उपाबंध III

भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र, सीमा के साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांक

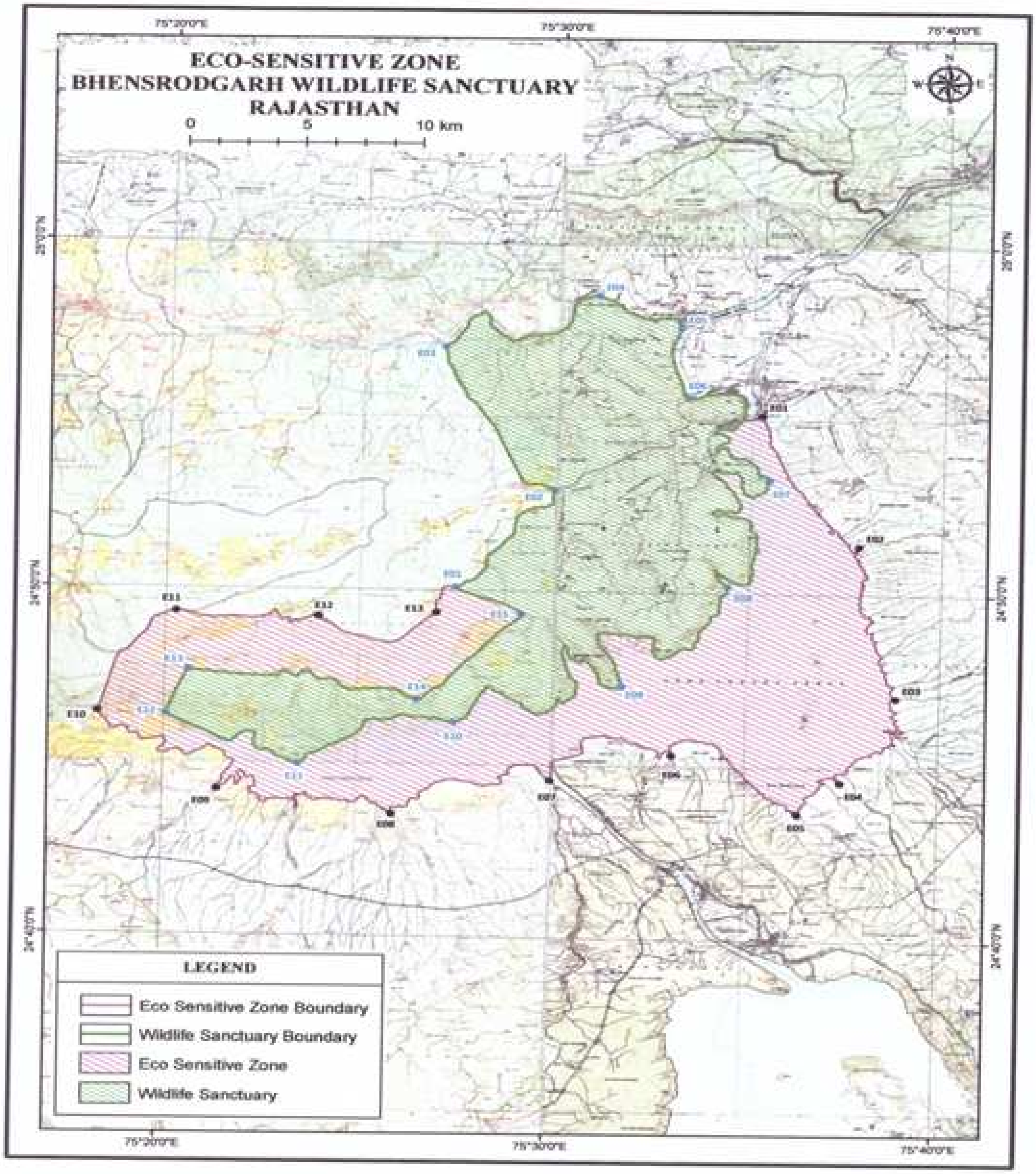

उपाबंध III क

भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन कि सीमा के बिन्दुओं के निर्देशांक

भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कि सीमा के बिन्दुओं के निर्देशांक

क्रम सं.	जी.पी.एस.	देशांतर	आक्षांश
1	पू. 01	75° 27.467' पू.	24° 50.090' उ
2	पू. 02	75° 29.935' पू.	24° 52.905' उ
3	पू. 03	75° 27.055' पू.	24° 57.003' उ
4	पू. 04	75° 30.972' पू.	24° 58.524' उ
5	पू. 05	75° 33.123' पू.	24° 57.613' उ
6	पू. 06	75° 33.352' पू.	24° 55.626' उ
7	पू. 07	75° 35.476' पू.	24° 53.268' उ
8	पू. 08	75° 34.458' पू.	24° 50.204' उ
9	पू. 09	75° 31.786' पू.	24° 47.290' उ
10	पू. 10	75° 27.483' पू.	24° 46.206' उ
11	पू. 11	75° 23.479' पू.	24° 44.948' उ
12	पू. 12	75° 20.059' पू.	24° 46.337' उ
13	पू. 13	75° 20.617' पू.	24° 47.634' उ
14	पू. 14	75° 26.524' पू.	24° 46.856' उ
15	पू. 15	75° 29.161' पू.	24° 49.338' उ

भैंसरोदगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन कि सीमा के बिन्दुओं के निर्देशांक

क्रम सं.	जी.पी.एस.	देशांतर	आक्षांश
1	पू01	75° 35.274' पू	24° 55.124' उ
2	पू02	75° 37.849' पू	24° 51.381' उ
3	पू03	75° 38.878' पू	24° 47.035' उ
4	पू04	75° 37.481' पू	24° 44.580' उ
5	पू05	75° 36.385' पू	24° 43.652' उ
6	पू06	75° 33.110' पू	24° 45.317' उ
7	पू07	75° 29.993' पू	24° 44.546' उ
8	पू08	75° 25.932' पू	24° 43.534' उ
9	पू09	75° 21.420' पू	24° 44.191' उ
10	पू 10	75° 18.280' पू	24° 46.390' उ
11	पू 11	75° 20.258' पू	24° 49.316' उ
12	पू 12	75° 23.932' पू	24° 49.209' उ
13	पू 13	75° 26.985' पू	24° 49.356' उ

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और दिनांक।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2015

S.O. 3125(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHERAS, Bhainsrodgarh Wild Life Sanctuary lies in the district of Chittorgarh in South Eastern part of Rajasthan between 75^0 20' – $75^0$36' east longitude and 24^0 44' – $24^0$59' north latitude on the Chittorgarh-Rawatbhata road at a distance of 140 Kms form Chittorgarh and spread over an area of 201.40 sq.kms and Rana Pratap Sagar Dam and atomic power plants are also located here and approximately 1/3 part of the sanctuary boundary is surrounded by "Rana Pratap Sagar Dam" Rawatbhata and the Brahimani River.

AND WHEREAS, this Wildlife sanctuary was notified *vide* Government of Rajasthan Notification number F(11)/44/Raj/8/81 dated 05-02-83 under the Wild Life Protection Act, 1972 and final notification was issued by the Collector, Chittorgarh *vide* notifications number 971 dated 20.8.98 and 886 dated 10.9.98 and is known for Crocodiles and different type of Vultures such as Red headed, Egyptian, White backed, cylinder billed, Urasion, Griffon, Indian vulture and it is an ideal Habitat for herbivores, carnivores and varieties of territorial, arboreal and water birds.

AND WHERAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Bhainsrodgarh Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE in exercise of powers conferred by sub-section (1) read with clause (V) and clause (xiv) of sub section (2) section 3 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby notifies an area which extends upto 3 kilometres around the boundary of the Bhainsrodgarh wildlife sanctuary as Bhainsrodgarh wildlife sanctuary Eco- sensitive Zone (herein after called the Eco sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area 258.835 square kilometres which extends upto 3 kilometres around the boundary of Bhainsrodgarh Wildlife Sanctuary. The boundary description of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 15 villages falling in Chittorgarh Districts of Rajasthan.

(3) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

(4) The maps of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes and Global Positioning System coordinates of boundary are appended as **Annexure III.**

(5) The details of Global Positioning System coordinates of the points along the boundary of the Bhainsrodgarh Wilidlife Sanctuary and its eco-sensitive zone are appended as **Annexure-III A.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Municipal,
(vi) Revenue,
(vii) Agriculture
(ix) Rajasthan State Pollution Control Board,
(x) Irrigation
(xi) Public Works Department
for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.—** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the

residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 18,24,29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(ii) Small scale industries not causing pollution,

(iii) Rainwater harvesting, and

(iv) Cottage Industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs and water courses—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.—**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Bhainsrodgarh Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-sensitive Zone for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.—**The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.—**The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes.—**Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone;

(10) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable

		laws.
5.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
8.	Fishing	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies.
9.	Use of Plastic carry bags	Prohibited with immediate effect.
10.	Purchase of Tendu Patta	Prohibition on purchase of tendu Patta by contractors within 100 meters from the boundary of the sanctuary. No purchasing places (Fads) shall be earmarked at the time of auction of Tendu Patta units by the Forest Department.
11.	Grazing by sheep	Prohibition on the grazing of sheep and cattle that enter during sheep migration period in the Eco-sensitve Zone. However, grazing by local cattle shall be permitted as per the rights.
	Regulated Activities	
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of National Tiger Conservation Authority.
13.	Construction activities	a) No new construction of any kind shall be permitted from the boundary of Bhainsrodgarh wildlife sanctuary up to a distance of 100 meters. (b) The construction of any new building more than 2 storey shall not be allowed in the area falling between 100 to 300 meters from boundary of sanctuary.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) laying of transmission lines and distribution lines of 11 KV (ii) Promote underground cabling

17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Rajasthan , which shall comprise of the following namely:—

(i) District collector, Chittorgarh - *Chairman*

(ii) District level officers of PWD, Town Planning and Industries Departments. - *Members*

(iii) Regional officer, Rajasthan state Pollution control board - *Member*

(iv) One representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the State government for a period of one year - *Member*

(v) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of one year. - *Member*

(vi) Honorary wild life warden - *Member*

(vii) Assistant conservator of forests, Bhainsrodgarh Wildlife sanctuary - *Member-Secretary*

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to

the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/59/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DETAILS OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BHAINSRODGARH WILDLIFE SANCTUARY

1. The said Eco sensitive zone is the area upto 3 km. from the boundary of Bhainsrogarh wildlife sanctuary situated in the Chittorgarh district of Rajasthan state with variations like in north where an another protected area named Jawahar Sagar wildlife sanctuary forms common boundary and in west along villages Lotiana, Mandesara, Phootpal forest road it shall be zero. In the east and south, the boundary of Eco sensitive zone shall extend up to the whole submerged waters of Rana Pratap Sagar. The bordering villages falling in Eco sensitive zone shall be in their complete revenue limits.

North:- The boundary of Jawahar Sagar Sanctuary that is from Rana Pratap Sagar dam site, Chambal river, Chambal puliya, Bhainsrorgarh along river Brahmini upto Lotiyana forest chowki.

West: - Forest road along the boundary of Bhansrorgarh sanctuary that is from Lotiyana forest chowki to village Mandesra, Khalgaon, Phootpaal, eastern limit of village Ajpura & Rajpura, southern limit of village Jambudip & from the boundary of sanctuary till the boundary of Madhya Pradesh state & eastern limits of village Jhumpdiya.

South:- From Jhumpdiya village along river Gunjali, submerged water limit of Rana pratap sagar dam till Chittoriya village where river Chambal enter into dam waters.

East:- From Chittoriya village, submerged water area limit of Rana Pratap Sagar till dam site.

West: 1 km width from Bhainsrodgarh railway station to NH 12 and to Kanwas tiraha. From Kanwas tiraha, along the Bhainsrodgarh sanctuary boundary to Kalisindh river meeting point.

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF BHAINSRODGARH WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Forest Range	Tehsil	Village	Gram Panchayat	Remark
1.	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Neemdi	Deopura	
2.	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Agra	Rajpura	
3.	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Bhairoo ji ka maal	Rajpura	
4.	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Udpura	Rajpura	Partial area in sanctuary
5	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Duditalai	Rajpura	Partial area in sanctuary
6	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Ganeshpura	Rajpura	Partial area in sanctuary
7	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Barla Ka Kheda	Rajpura	
8	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Balaganj	Balkundi	
9	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Kharnai	Rajpura	
10	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Shopuriya	Rajpura	
11	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Hirapura	Rajpura	
12	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Sairiya Kudi	Rajpura	
13	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Meghpura	Rajpura	
14	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Kheda	Rajpura	
15	Bhainsroadgarh	Rawatbhata	Luhariya	Rajpura	

ANNEXURE-III

Map of Eco-Sensitive Zone of Bhainsrodgarh Wildlife Sanctuary with latitudes and longitudes and GPS coordinates along the boundary

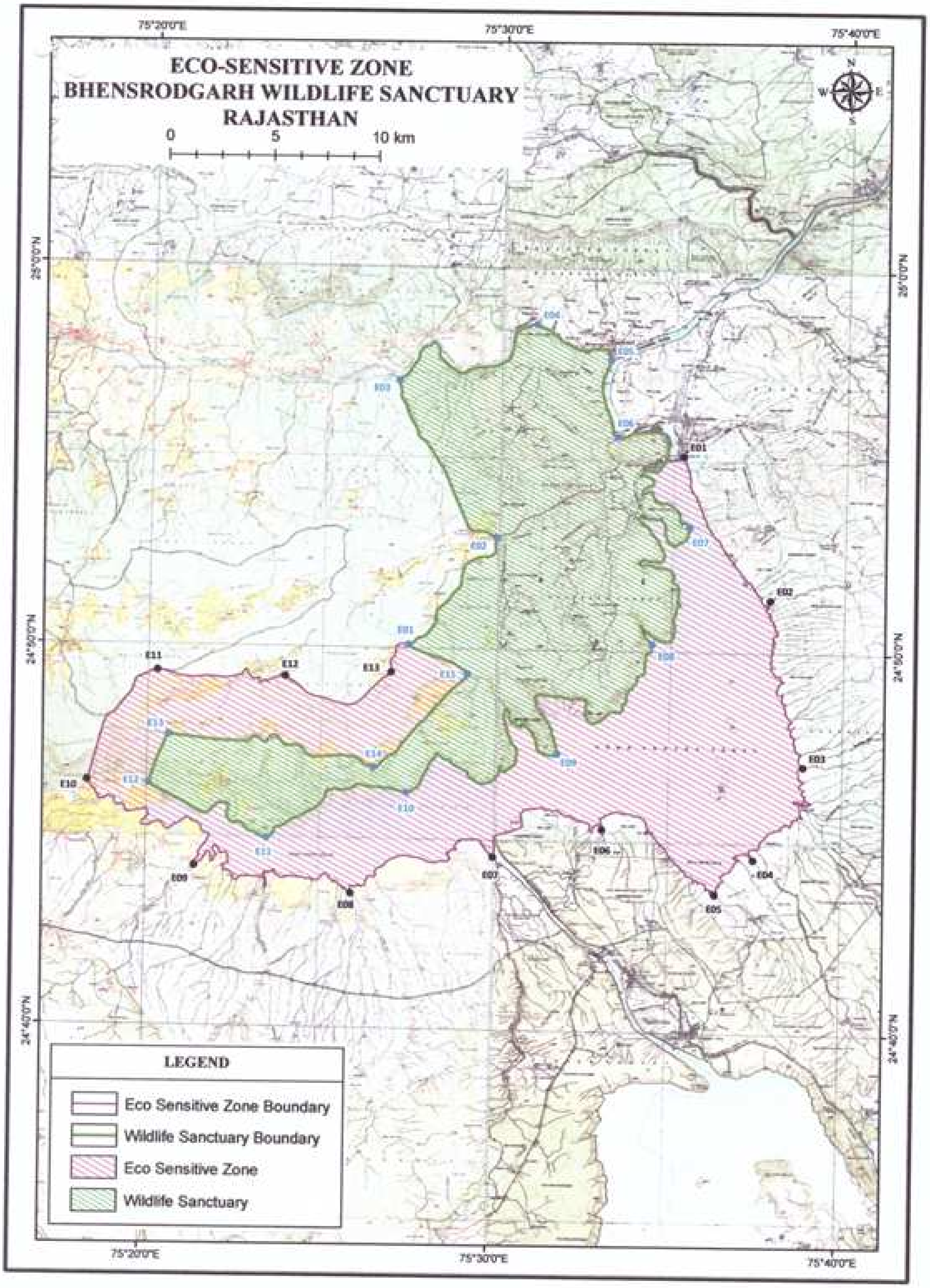

ANNEXURE-III A

GPS COORDINATES OF POINTS ALONG THE BOUNDARY OF THE ECO SENSITIVE ZONE OF BHAINSRODGARH WILDLIFE SANCTUARY

GPS co-ordinates of points along the boundary of Bhensrogarh WLS

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	75° 27.467' E	24° 50.090' N
2	E02	75° 29.935' E	24° 52.905' N
3	E03	75° 27.055' E	24° 57.003' N
4	E04	75° 30.972' E	24° 58.524' N
5	E05	75° 33.123' E	24° 57.613' N
6	E06	75° 33.352' E	24° 55.626' N
7	E07	75° 35.476' E	24° 53.268' N
8	E08	75° 34.458' E	24° 50.204' N
9	E09	75° 31.786' E	24° 47.290' N
10	E10	75° 27.483' E	24° 46.206' N
11	E11	75° 23.479' E	24° 44.948' N
12	E12	75° 20.059' E	24° 46.337' N
13	E13	75° 20.617' E	24° 47.634' N
14	E14	75° 26.524' E	24° 46.856' N
15	E15	75° 29.161' E	24° 49.338' N

GPS co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone Bhensrogarh WLS

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	75° 35.274' E	24° 55.124' N
2	E02	75° 37.849' E	24° 51.381' N
3	E03	75° 38.878' E	24° 47.035' N
4	E04	75° 37.481' E	24° 44.580' N
5	E05	75° 36.385' E	24° 43.652' N
6	E06	75° 33.110' E	24° 45.317' N
7	E07	75° 29.993' E	24° 44.546' N
8	E08	75° 25.932' E	24° 43.534' N
9	E09	75° 21.420' E	24° 44.191' N
10	E10	75° 18.280' E	24° 46.390' N
11	E11	75° 20.258' E	24° 49.316' N
12	E12	75° 23.932' E	24° 49.209' N
13	E13	75° 26.985' E	24° 49.356' N

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.